

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2024—पौष 10, शक 1946

खजिन साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

क्रमांक- एफ 1/1/1/0002/23-MRD-12 -भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय तथा अलिपिकवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,

- (1) नियम 2 में, खण्ड (क) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-
 - (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म) मध्यप्रदेश ;
 - (घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, (प्रशासन एवं खनिकर्म) मध्यप्रदेश; "।
- (2) नियम 11 में,-
 - (क) उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(6) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) एवं मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार दिव्यांगजन के लिए पद आरक्षित होंगे;"।
 - (ख) उप-नियम (9) के पश्चात, निम्न उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(10) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्र क्र- एफ-07-11/2019/ आ.प्र./ एक, दिनांक 02 जुलाई, 2019 एवं परिपत्र क्र- एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 18 जुलाई, 2019 या समय- समय पर जारी अन्य आदेश द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल पदों 10 प्रतिशत होंगे।

"(11) विभाग में सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर निरंतर सेवा के 5 वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50 % तक (जो भी कम हो), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 22 जुलाई, 2023 द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित होंगे। इन निर्देशों या निर्दिष्ट पूर्व निर्देशों के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेने के पश्चात वे पुनः लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।"

(3). विद्यमान नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"13. परीक्षा-

(1) सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को तीन वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

(2) परीक्षा अवधि के दौरान, प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान का न्यूनतम 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, वेतन (स्टायपेंड) के रूप में देय होगा। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, वेतनमान दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा :

परन्तु, उपरोक्त उपबंध उन सेवाओं को लागू नहीं होंगे, जिनके लिए लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा आयोजित की जाती है।"

(4) विद्यमान अनुसूची-एक, अनुसूची-दो, अनुसूची-तीन तथा अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं अर्थात् :-

अनुसूची एक
(नियम-5 देखिए)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की कुल संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	अभ्युक्तियां (6)
लिपिक वर्गीय					
1	अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी	36200-114800 (9)	-
2	सहायक अधीक्षक	5	तद्वैव	32800-103600 (8)	-
3	सहायक ग्रेड-एक	34	तद्वैव	28700-91300 (7)	-
4	लेखापाल	17	तद्वैव	28700-91300(7)	-
5	सहायक ग्रेड-दो	68	तद्वैव	25300-80500 (6)	-
6	स्टेनोग्राफिस्ट	4	तद्वैव	19500-62000(4)	-
7	सहायक ग्रेड-तीन	148	तद्वैव	19500-62000 (4)	-
अलिपिक वर्गीय					
8	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	12	तृतीय श्रेणी	36200-114800 (9)	-
9	सहायक खनि अधिकारी	111	तद्वैव	36200-114800 (9)	-
10	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	15	तद्वैव	36200-114800 (9)	-
11	वेधन यांत्रिकी	13	तद्वैव	32800-103600 (8)	-
12	टोपो सर्वेक्षक (सर्वेयर)	5	तद्वैव	32800-103600 (8)	-
13	वरिष्ठ प्रशिल्पी	3	तद्वैव	32800-103600 (8)	-
14	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	1	तद्वैव	32800-103600 (8)	सांख्येत्तर पद
15	मानचित्रकार	30	तद्वैव	32800-103600 (8)	
16	सहायक रसायनज्ञ	12	तद्वैव	28700-91300 (7)	
17	खनि निरीक्षक	269	तद्वैव	28700-91300 (7)	
18	खनिज सर्वेक्षक	16	तद्वैव	28700-91300 (7)	
19	प्रशिल्पी	5	तद्वैव	28700-91300 (7)	
20	सहायक मानचित्रकार	59	तद्वैव	25300-80500 (6)	
21	सहायक वेधक	17	तद्वैव	22100-70000 (5)	
22	सांख्यिकीय लिपिक	1	तद्वैव	22100-70000 (5)	
23	सर्वेक्षक (सर्वेयर)	52	तद्वैव	22100-70000 (5)	
24	मददगार	27	तद्वैव	19500-62000 (4)	
25	हीरा पारखी	2	तद्वैव	19500-62000 (4)	
26	अनुरेखक	1	तद्वैव	19500-62000 (4)	सांख्येत्तर पद
27	वाहन चालक (हल्के वाहन)	1	तद्वैव	19500-62000 (4)	सांख्येत्तर पद

टीप: अनुक्रमांक 14, 26 एवं 27 पर वर्णित पद सांख्येत्तर पदों के रूप में घोषित है।

अनुसूची दो
(नियम-6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनु क्रमांक	पदों का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6 (1) (क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1) (ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम 6 (1) (ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लिपिकवर्गीय (अकार्यपालिक)						
1	अधीक्षक	1	-	100%	-	-
2	सहायक अधीक्षक	5	-	100%	-	-
3	सहायक ग्रेड-एक	34	-	100%	-	-
4	लेखापाल	17	50%	50%	-	-
5	सहायक ग्रेड-दो	68	-	100%	-	-
6	स्टेनोग्राफिस्ट	4	100%	-	-	-
7	सहायक ग्रेड-तीन	148	75%	25%	-	25% पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिन्होंने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा कर चुके हैं। पदोन्नति दो वर्ष की परिवीक्षा के आधार पर होगी एवं परिवीक्षा की कालावधि के दौरान हिन्दी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी।
अलिपिकवर्गीय (कार्यपालिक)						
8	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	12	90%	10%	-	-
9	सहायक खनि अधिकारी	111	-	100%	-	-
10	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	15	100%	-	-	-
11	वेधन यांत्रिकी	13	-	100%	-	-
12	टोपो सर्वेक्षक (सर्वेयर)	5	-	100%	-	-
13	वरिष्ठ प्रशिल्पी	3	-	100%	-	-

14	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	1	100%	-	-	सांख्येत्तर पद
15	मानचित्रकार	30	-	100%	-	-
16	सहायक रसायनज्ञ	12	100%	-	-	-
17	खनि निरीक्षक	269	100%	-	-	10% पद वांछित अर्हता एवं 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले लिपिकवर्गीय कर्मचारियों से संक्षिप्त विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे। अपेक्षित विभागीय कर्मचारी उपलब्ध न होने पर पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।
18	खनिज सर्वेक्षक	16	50%	50%	-	-
19	प्रशिल्पी	5	100%	-	-	-
20	सहायक मानचित्रकार	59	100%	-	-	-
21	सहायक वेधक	17	-	100%	-	-
22	सांख्यिकीय लिपिक	1	-	100%	-	-
23	सर्वेक्षक (सर्वेयर)	52	100%	-	-	-
24	मददगार	27	100%	-	-	-
25	हीरा पारखी	2	100%	-	-	-
26	अनुरेखक (ट्रेसर)	1	100%	-	-	सांख्येत्तर पद
27	वाहन चालक (हल्के वाहन)	1	100%	-	-	सांख्येत्तर पद

टीप: अनुक्रमांक 14, 26 एवं 27 पर उल्लेखित पद सांख्येत्तर पदों के रूप में घोषित हैं।

अनुसूची तीन
(नियम-8 देखिये)
सीधी भरती के लिए आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खनिज साधन विभाग (संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म)	1. स्टेनो टाइपिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त किसी मंडल या संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिये।</p> <p>2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र होना चाहिए, -</p> <p>(एक) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, या</p> <p>(दो) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से, या</p> <p>(तीन) डी.ओ.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, या</p> <p>(चार) किसी शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, या</p> <p>(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र ;</p> <p>अथवा</p> <p>(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/परिषद से 80 शब्द प्रतिमिनिट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन का प्रमाण पत्र ।</p> <p>(4) हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनिट एवं अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनिट की गति के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) होना चाहिए।</p>	-

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. सहायक गेड - तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/ संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिये।</p> <p>2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र होना चाहिए।</p> <p>(एक) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, या</p> <p>(दो) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से, या</p> <p>(तीन) डी.ओ.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, या</p> <p>(चार) किसी शासकीय पॉलीटेक्निक पॉलीटेक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, या</p> <p>(पांच) राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र।</p> <p>अथवा</p> <p>ए.आई.सी.टी.ई से अनुमोदित कम्प्यूटर साईंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा।</p> <p>(3) हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) होना चाहिए।</p>	-
	3. लेखापाल	18 वर्ष	40 वर्ष	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य संकाय स्नातक की उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पत्रोपाधि होना चाहिए।</p>	-

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकीय अथवा गणित अथवा अर्थशास्त्र में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए।	-
	5. सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य संकाय स्नातक की उपाधि तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पत्रोपाधि होना चाहिए।	-
	6. सहायक रसायनज्ञ	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अकार्बनिक अथवा विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्र से स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए।	-
	7. खनिज सर्वेक्षक	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म या सिविल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि होना चाहिए।	-
	8. वरिष्ठ तकनीकी सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान विषय लेकर स्नातक की उपाधि होना चाहिए।	सांख्येत्तर पद
	9. प्रशिल्पी	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि होना चाहिए।	-
	10. सहायक मानचित्रकार	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रतिक्रमण संस्थान से ड्राफ्ट्समेन सिविल या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुकला में पत्रोपाधि होना चाहिए।	-
	11. खनिज निरीक्षक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-गर्भ विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से माइनिंग इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि होना चाहिए।	-
	12. मददगार	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रतिक्रमण संस्थान से डीजल मैकेनिकल या मशीनिस्ट या आटोमोबाइल ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	-
	13. सर्वेक्षक (सर्वेयर)	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रतिक्रमण संस्थान से सर्वेयिंग में प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि	-

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	14. हीरा पारखी	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हीरे की पहचान/ मूल्यांकन के लिए प्रमाण-पत्र अथवा किसी किसी मान्यता प्राप्त व्यापारी से हीरा मूल्यांकन का 5 वर्ष का अनुभव
	15. अनुरेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी परीक्षा ड्राईंग विषय के साथ प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण अथवा औद्योगिक प्रतिक्रमण संस्थान से ड्राफ्ट्समैन सिविल होना चाहिए।	सांख्येत्तर पद
	16. वाहन चालक (हल्के वाहन)	18 वर्ष	40 वर्ष	1. हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. हल्के वाहन के लिए अनुज्ञप्ति होना चाहिए।	सांख्येत्तर पद

टीप: अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मण्डल या संस्था से (10+2) हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

अनुसूची चार
(नियम-14 देखिए)
पदोन्नति द्वारा नियुक्ति

अनु क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पात्रता की कालावधि	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक अधीक्षक	3 वर्ष	अधीक्षक	1. संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म) या उसका नाम निर्देशित - अध्यक्ष 2. प्रभारी अधिकारी (स्थापना) - - सदस्य सचिव 3. प्रभारी अधिकारी (लेखा) - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि - सदस्य	-
2	सहायक ग्रेड- एक / लेखापाल	3 वर्ष	सहायक अधीक्षक	-तदैव-	-
3	सहायक ग्रेड- दो	3 वर्ष	सहायक ग्रेड- एक	-तदैव-	लेखा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित दोनों पर ही वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार में लिया जाएगा
4	सहायक ग्रेड- दो	3 वर्ष	लेखापाल	-तदैव-	केवल लेखा प्रशिक्षित पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा,
5	सहायक ग्रेड- तीन	5 वर्ष	सहायक ग्रेड-तीन/ सांख्यिकी लिपिक	-तदैव-	-
6	सिपाही/भृत्य/ भृत्य-सह प्रोसेस सर्वर / क्षेत्रीय सहायक	5 वर्ष	सहायक ग्रेड-तीन	-तदैव-	जिन कर्मचारियों ने सीपीसीटी प्रमाण-पत्र के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो पदोन्नति के लिए केवल उन पर विचार किया जाएगा।
7	सांख्यिकी लिपिक	5 वर्ष	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	-तदैव-	-

8	सहायक वेधक	5 वर्ष	वेधन यांत्रिकी (ड्रिलर मैकेनिक)	-तदैव-	-
9	मददगार (हेल्पर)	5 वर्ष	सहायक वेधक	-तदैव-	-
10	खनि निरीक्षक	5 वर्ष	सहायक खनि अधिकारी	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसका नाम निर्देशिती - अध्यक्ष 2. संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म) सदस्य सचिव 3. प्रमुख सचिव / सचिव खनिज साधन विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग का उप/अवर सचिव के समतुल्य पद श्रेणी एक प्रतिनिधि -सदस्य	-
11	खनिज सर्वेक्षक	5 वर्ष	टोपो सर्वेक्षक (सर्वेयर)	1 संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म) या उसका नाम निर्देशिती - अध्यक्ष 2 प्रभारी अधिकारी (स्थापना) - - सदस्य सचिव 3 प्रभारी अधिकारी (लेखा) - सदस्य 4 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि - सदस्य	-
12	सर्वेक्षक (सर्वेयर)	5 वर्ष	खनिज सर्वेक्षक	-तदैव-	-
13	प्रशिल्पी	5 वर्ष	वरिष्ठ प्रशिल्पी (सीनियर आर्टिफाइसर)	-तदैव-	-
14	सहायक मानचित्रकार	5 वर्ष	मानचित्रकार	-तदैव-	-
15	अनुरेखक	5 वर्ष	सहायक मानचित्रकार	-तदैव-	-1"

क्रमांक- एफ 1/1/1/0002/23-MRD-12- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Directorate of Geology and Mining Non-Gazetted Class III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2004, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,

(1) in rule 2, for clause (a) and (d), the following clauses shall be substituted, namely:-

(a) "Appointing authority", in respect of the service means the Director (Administration and Mining), Madhya Pradesh;

(d) " Director" means the Director, (Administration and Mining), Madhya Pradesh;"

(2) in rule 11,-

(a) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) There shall be posts reserved for persons with disabilities in accordance with the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 (49 and 2016) and the Madhya Pradesh Rights of persons with Disabilities Rules, 2017. " ;

(b) after sub-rule (9), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(10) Ten percent of total posts shall be reserved for the candidates belonging to the Economically Weaker Section vide the Circular No. F-07-11/2019/आ.प्र./one, dated 18 th July, 2019 of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department or any other order issued, from time to time.

(11) Fifty percent of the total number of contractual employees who have completed 5 years of continuous service on contractual posts equivalent to regular posts of direct recruitment in the department or up to 50 % of the vacant posts of direct recruitment in the department (whichever is less), shall be reserved for appointment of contractual employees vide the circular of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department bearing No. C-5-2/2018/1/3, dated 22nd July, 2023. Once they have taken advantage of the reservation facility under these instructions or the earlier instructions referred to, they shall not be eligible for the benefit again."

(3) for the existing rule 13, the following rule shall be substituted, namely:-

"13. Probation.-

- (1) Every person recruited directly in the service shall be appointed on probation for a period of three years.
- (2) During the probation period, 70 percent of minimum of pay scale of that post in the first year, 80 percent in the second year and 90 percent in the third year shall be payable as stipend. On successful completion of probation period, pay scales shall be initiated:

Provided that above provision shall not be applicable to those services for which selection examination is conducted by the Public Service Commission."

(4) for the existing Schedules-I, Schedules-II, Schedules-III and Schedules-IV, the following Schedules shall be substituted, namely:-

Schedule I

(See Rule 5)

Classification of Services, Pay scale and Number of Posts

S.no	Names of posts included in the service	Total number of posts	Classification	pay scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Clerical					
1	Superintendent	1	Class III	36200-114800 (9)	
2	Assistant superintendent	5	-do-	32800-103600 (8)	
3	Assistant grade I	34	-do-	28700-91300 (7)	
4	Accountant	17	-do-	28700-91300(7)	
5	Assistant grade-II	68	-do-	25300-80500 (6)	
6	Stenotypist	4	-do-	19500-62000(4)	
7	Assistant grade- III	148	-do-	19500-62000 (4)	
Non-Clerical					
8	Assistant Statistical Officer	12	Class III	36200-114800 (9)	
9	Assistant Mining Officer	111	-do-	36200-114800 (9)	
10	Assistant Internal Audit Officer	15	-do-	36200-114800 (9)	
11	Driller mechanic	13	-do-	32800-103600 (8)	
12	Topo surveyor	5	-do-	32800-103600 (8)	
13	Senior Artificer	3	-do-	32800-103600 (8)	
14	Senior Technical Assistant	1	-do-	32800-103600 (8)	Supernumerary post
15	Draftsman	30	-do-	32800-103600 (8)	
16	Assistant chemist	12	-do-	28700-91300 (7)	
17	Mining inspector	269	-do-	28700-91300 (7)	
18	Mining surveyor	16	-do-	28700-91300 (7)	
19	Artificer	5	-do-	28700-91300 (7)	
20	Assistant Draftsman	59	-do-	25300-80500(6)	
21	Assistant Driller	17	-do-	22100-70000(5)	
22	Statistical Clerk	1	-do-	22100-70000(5)	
23	Surveyor	52	-do-	22100-70000(5)	
24	Helper	27	-do-	19500-62000 (4)	
25	Diamond Valuer	2	-do-	19500-62000 (4)	
26	Tracer	1	-do-	19500-62000 (4)	Supernumerary post
27	Driver (Light Vehicle)	1	-do-	19500-62000 (4)	Supernumerary post

Note : The posts mentioned in Serial Number 14, 26 and 27 are declared as Supernumerary posts.

Schedule II

(See rule- 6)

Method of Recruitment

S.No.	Name of the Posts	Number of Posts	Percentage of the number of Posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment [See Rule 6 (1) (a)]	By promotion of members of the services vide (See rule 6(1)(b)]	By transfer of persons from other services [see rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Clerical (Non-Executive)						
1	Superintendent	1	-	100%	-	-
2	Assistant Superintendent	5	-	100%	-	-
3	Assistant Grade I	34	-	100%	-	-
4	Accountant	17	50%	50%	-	-
5	Assistant Grade II	68	-	100%	-	-
6	Steno typist	4	100%	-	-	-
7	Assistant Grade III	148	75%	25%	-	25 % posts shall be filled by promotion of class IV employees who have passed Higher secondary examination and rendered minimum five years of service. Promotion shall be on the basis of probation of two years and must have passed Hindi typing examination during probation period.
Non- Clerical (Executive)						
8	Assistant statistical officer	12	90%	10%	-	-
9	Assistant Mining Officer	111	-	100%	-	-
10	Assistant Internal Audit Officer	15	100%	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Driller Mechanic	13	-	100%	-	-
12	Topo Surveyor	5	-	100%	-	-
13	Senior Artificer	3	-	100%	-	-
14	Senior Technical Assistant	1	100%	-	-	Supernumerary post
15	Draftsman	30	-	100%	-	-
16	Assistant Chemist	12	100%	-	-	-
17	Mining Inspector	269	100%	-	-	10% posts shall be filled by clerical Grade employee, through short departmental examination, who possess required qualification and have completed 5 years of regular service. If required departmental candidates are not available, the post may be filled by direct recruitment.
18	Mining Surveyor	16	50%	50%	-	-
19	Artificer	5	100%	-	-	-
20	Assistant Draftsman	59	100%	-	-	-
21	Assistant Driller	17	-	100%	-	-
22	Statistical clerk	1	-	100%	-	-
23	Surveyor	52	100%	-	-	-
24	Helper	27	100%	-	-	-
25	Diamond Valuer	2	100%	-	-	-
26	Tracer	1	100%	-	-	Supernumerary post
27	Driver (Light Vehicle)	1	100%	-	-	Supernumerary post

Note : The posts mentioned in Serial Numbers 14, 26 and 27 are declared as Supernumerary posts.

"SCHEDULE - III

(See-Rule 8)

Age and Qualifications for direct recruitment

Name of the Department	Name of the post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	prescribed Educational qualification and experience	Remark
1	2	3	4	5	6
Mineral Resources Department (Directorate of Geology and Mining)	1.Steno typist	18years	40 years	<p>(1)Must have Passed Higher Secondary Certificate Exam (10+2) from any recognized Board or Institution.</p> <p>(2)Must Possess One year Diploma/Certificate in Computer Application from any of the following recognized Institutions-</p> <p>(i) from any university recognized by UGC ; or</p> <p>(ii) from any open university recognized by UGC ;or</p> <p>(iii) Diploma level examination from DOEACC; or</p> <p>(iv) Modern office management course from any Government Polytechnic College.or</p> <p>(v)One year Computer Operator and programming Assistant Certificate (COPA) conferred by National Council of Vocational training (N.C.V.T.) New Delhi or State Council for Vocational training (S.C.V.T.) Madhya Pradesh.</p> <p>Or</p> <p>Polytechnic Diploma in Computer Science/ Computer Application or information technology approved by AICTE.</p> <p>(3) Must possess Computer proficiency certification test (CPCT) certificate (Score card) conducted by MAP IT with a speed of 20 words per minute in Hindi and 30 words per minute in English.</p> <p>(4) Must possess Certificate of Hindi shorthand with a speed of 80 words per minute from any recognised Institution/ Council.</p>	---

	2. Assistant Grade III	18 years	40 years	<p>(1) Must have Passed Higher Secondary Certificate Examination (10+2) from any recognized Board or Institution.</p> <p>(2) Must Possess One year Diploma/Certificate in Computer Application from any of the following recognized Institutions-</p> <p>(i) from any university recognized by UGC ; or</p> <p>(ii) from any open university recognized by UGC ; or</p> <p>(iii) Diploma level examination from DOEACC; or</p> <p>(iv) Modern office management course from any Government Polytechnic College. or</p> <p>(v) One year Computer Operator and programming Assistant Certificate (COPA) conferred by National Council of Vocational training (N.C.V.T.) New Delhi or State Council for Vocational training (S.C.V.T.) Madhya Pradesh.</p> <p>Or</p> <p>Polytechnic Diploma in Computer Science/ Computer Application or information technology approved by AICTE.</p> <p>(3) Must possess Computer proficiency certification test (CPCT) certificate (Score card) conducted by MAP IT with a speed of 20 words per minute in Hindi and 30 words per minute in English.</p>	---
	3. Accountant	18 years	40 years	<p>Must possess Bachelor's Degree in Commerce Stream from any Recognised University and one year diploma in computer application from any recognized institution.</p>	---
	4. Assistant Statistical Officer	18 years	40 years	<p>Must possess Masters Degree in Statistics or Mathematics or Economics with minimum Second Division passed from any Recognised University.</p>	---

	5. Assistant Internal Accounts Examiner Officer	18 years	40 years	Must possess Bachelors Degree in Commerce Stream from any Recognised University and one year diploma in computer application from any recognized institution.	---
	6. Assistant Chemist	18 years	40 years	Must possess Masters Degree in Inorganic or Analytical Chemistry subject from any recognized University	---
	7. Mining Surveyor	21 years	40 years	Must possess Diploma in Mining or Civil Engineering from any recognized Institute.	---
	8. Senior Technical Assistant	18 years	40 years	Must possess Bachelors Degree with Geology subject from any recognized university	Supernumerary Post
	9. Artificer	18 years	40 years	Must possess Diploma In Mechanical Engineering from any recognized Institute.	---
	10. Assistant Draftsman	18 years	40 years	Must possess Draftsman Civil from Industrial Training Institute or Diploma in architecture from any recognized Institute.	---
	11. Mining Inspector	21 years	40 years	Must possess Bachelors Degree in Science with Geology subject from any recognised University or Diploma in mining Engineering from any recognized Institute.	---
	12. Helper	18 years	40 years	Must have passed Diesel Mechanic or Machinist or Automobile trade Examination from Industrial Training Institute.	---
	13. Surveyor	18 years	40 years	Certificate in Surveying from Industrial Training Institute or Diploma in civil Engineering from any recognized Institute.	---
	14. Diamond Valuer	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary examination .	Certificate for diamond identification/ Valuation from any recognized Institute or Five years of experience in Diamond valuation from a recognized Trader.
	15. Tracer	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary Certificate Examination with Drawing subject passed or Draftsman Civil from Industrial Training Institute.	Supernumerary Post
	16. Driver (Light Vehicle)	18 years	40 years	1. Must have passed High School exam. 2. Must Possess Driving License for Light Motor Vehicle.	Supernumerary Post

Note : Candidate must have passed (10+2) High School or Higher Secondary Examination from any Board or Institution recognized by the Government of Madhya Pradesh.

"SCHEDULE – IV

(See-Rule 14)

Appointment by promotion

S.No.	Name of the post from which promotion is to be made	Period of Eligibility	Name of the post to which promotion is to be made	Member of Departmental Promotion Committee	Remark
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Superintendent	3 years	Superintendent	1. Director (Administration and mining) or his nominee -Chairman. 2. Officer-In-charge (Establishment) Member Secretary 3. Officer-In-charge (Accounts) - Member. 4. Representative of Scheduled Castes/ Scheduled Tribe - Member.	--
2	Assistant Grade I / Accountant	3 years	Assistant Superintendent	--do--	
3	Assistant Grade II	3 years	Assistant Grade -I	--do--	Both accounts trained or untrained shall be considered for promotion on seniority basis
4	Assistant Grade II	3 years	Accountant	--do--	Only accounts trained shall be considered for promotion on seniority basis
5	Assistant Grade III	5 years	Assistant Grade II /Statistical Clerk	--do--	

1	2	3	4	5	6
6	Sepoy/ Peon/ Peon cum Process server/ Field Assistant	5 years	Assistant Grade III	--do--	Only those employees shall be considered for promotion who have passed Higher Secondary examination with CPCT certificate.
7	Statistical Clerk	5 years	Assistant statistical officer	--do--	---
8	Assistant Driller	5 years	Driller Mechanic	--do--	---
9	Helper	5 years	Assistant Driller	--do--	---
10	Mining Inspector	5 years	Assistant Mining Officer	1. Chairman Public Service Commission or his Nominee - Chairman 2. Director(Administration and mining) - Member Secretary 3. Principal Secretary/ Secretary Mineral Resources Department Member 4. One Representative of the Schedule cast / Schedule Tribes category equivalent to the rank of Deputy/ Under Secretary - Member	---
11	Mining Surveyor	5 years	Topo Surveyor	1. Director (Administration and mining) or his nominee Chairman. 2. Officer-In-charge (Establishment) Member Secretary. 3. Officer-In-charge (Accounts) - Member. 4. Representative of Scheduled Caste / Scheduled Tribe - Member.	---
12	Surveyor	5 years	Mining Surveyor	--do--	---
13	Artificer	5 years	Senior Artificer	--do--	---
14	Assistant Draftsman	5 years	Draftsman	--do--	---
15	Tracer	5 years	Assistant Draftsman	--do--	---

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.